न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी – श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 15/2013

अपीलांटस		रेस्पोडेटस
1. गिरधारीराम पुत्र दुर्गाराम 2. खीयाराम पुत्र दुर्गाराम जति जाट निवासी नथाणियो का वास (कुड़ला) तहसील व जिला बाड़मेर	बनाम	1. ठाकराराम पुत्र भोमाराम 2. जेठाराम पुत्र भोमाराम 3. आईदानराम पुत्र अणदाराम 4. सुखाराम पुत्र अणदाराम के कायम मुकाम 4/1 महेन्द्रसिंह पुत्र सुखाराम 4/2 देमीदेवी पत्नी सुखाराम 5. भैराराम पुत्र अणदाराम 6. भलाराम पुत्र अणदाराम 7. आसूराम पुत्र भीखाराम 8. मालाराम पुत्र भीखाराम 9. अनाराम पुत्र खेमाराम 10. प्रागाराम पुत्र केसाराम 11. धाई पत्नी केसाराम जति जाट निवासी नथाणियो का वास (कुड़ला) तहसील व जिला बाड़मेर 12. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा कुड़ला तहसील व जिला बाड़मेर 13. तहसीलदार बाड़मेर

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 14.05.2012 द्वारा तहसीलदार बाड़मेर

उपस्थित–
1. श्री राजेश विश्नोई अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से।
2. श्री राउराम चौधरी रेस्पोंडेंट संख्या 4/1 एवं 4/2 की ओर से।
3. श्री नरपतसिंह चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 एवं 5 से 11 की ओर से।
4. राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 13 की ओर से।
5. रेस्पोडेंट संख्या 12 एक तरफा।

आदेश

दिनांक 02.02.2017

1. संक्षेप में अपीलान्ट की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांटस व रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 10 की पैतृक संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नंबर 219, 238, 239, 570 संयुक्त रकबा 229 बीघा

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

11 विस्वा सरहद मौजा नथोणियो का वास व खसरा नंबर 336, 529, 531, 661 कुल रकबा 131.08 बीघा मौजा मगने की ढाणी पटवार क्षैत्र कुडला तहसील बाड़मेर में आई हुई है। उक्त भूमि पर अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस का संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त है तथा पक्षकारान खातेदारान आपसी सहमति से मौके पर अपने–अपने हिस्से के अनुसार विभाजन कर काश्त करते आ रहे है तथा अपनी–अपनी आवासीय ढाणियॉ बनाई हुई है। रेस्पोडेंटस सं. 01 से 10 ने अलापींट को अपने–अपने हिस्से अनुसार उक्त आराजी का विभाजन करने हेतु प्रस्ताव दिया, अपीलांट द्वारा सहमति दिये जाने पर विभाजन प्रस्ताव मौके पर कब्जा अनुसार तैयार करवाये गये परन्तु रेस्पोडेंट संख्या 01 से 10 के प्रभाव में आकर हल्का पटवारी द्वारा विभाजन हेतु पूर्व में तैयार नक्शे एवं प्रस्ताव को बदलते हुए अपीलांट व रेस्पोडेंटस द्वारा किये गये हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान दोबारा करवा कर, तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष पेश कर तहसीलदार बाड़मेर से अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.05.2012 पारित करवाया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांटस ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर म्याद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांटस ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किये।

2. हमने अपील अपीलांटस दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंटस को सम्मन जारी किये एवं अपीलाधीन पत्रावली तलब की।

3. रेस्पोडेंटस संख्या 4/1 व 4/1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि विभाजन पक्षकारान के कब्जा–काश्त अनुसार नहीं किया गया है। विभाजन प्रस्ताव सही नहीं है एवं की गई समस्त कार्यवाही विधि विरूद्व हुई है। रेस्पोंडेंट संख्या 4 का पूरा मकान रेस्पोडेंट संख्या 3 के हिस्से में चला गया, नक्शा सही नहीं बनाया गया एवं तरमीम भी गलत की गई है।

4. रेस्पोडेंटस संख्या 1 से 3 एवं 5 से 11 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जवाब में दर्शाया गया कि विभाजन हेतु समस्त तैयार कागजात मय विभाजन का नक्शा व सहमति पत्र समस्त खातेदारान ने उपस्थित होकर तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष पेश किये, लेख पत्र सभी को पढ़कर सुनाया गया। जिस पर सभी ने सुन समझ कर आराजी के विभाजन हेतु अपनी सहमति दी। विभाजन के नक्शे की जानकारी अपीलांट को एक माह बाद होने का कथन गलत है, नक्शा अपीलांट की उपस्थिति एवं जानकारी में तहसीलदार बाड़मेर द्वारा तस्दीक किया गया। अपीलांटस की सहमति से विभाजन करवाया गया। उक्त विभाजन पक्षकारान के भौतिक कब्जे अनुसार ही करवाया गया, जो सही है। अपील खारिज किये जाने योग्य होना दर्शाया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

5. हमने उभयं पक्षो की बहस सुनी। अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस का संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त है तथा पक्षकारान खातेदारान आपसी सहमति से मौके पर अपने–अपने हिस्से के अनुसार काश्त करते आ रहे है तथा अपनी–अपनी आवासीय ढाणियॉ बनी हुई है। रेस्पोडेंट संख्या 01 से 10 के प्रभाव में आकर हल्का पटवारी द्वारा विभाजन हेतु पूर्व में तैयार नक्शे एवं प्रस्ताव को बदलकर, अपीलांट व रेस्पोडेंट द्वारा किये गये हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान दोबारा करवा कर, तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष पेश कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.05.2012 पारित करवाया। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित उक्त आदेश का सर्वप्रथम अपीलान्टस को वास्तविक ज्ञान एक माह पूर्व ही हुआ हैं, वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर म्याद पेश की गई है। अपीलांटस की अपील स्वीकार कर पक्षकारान के भौतिक कब्जा काश्त अनुसार आराजी का विभाजन आदेश प्रदान करावें।

6. इसके जवाब में रेस्पोडेंटस संख्या 4/1 व 4/2 के विद्वान अधिवक्ता का तर्क हैं कि उक्त आराजी का विभाजन सर्वसम्मति से नहीं हुआ, रेस्पोडेंट संख्या 4 की आवासीय ढाणी एवं टाके आदि रेस्पोडेंट संख्या 3 के हिस्से में चले गये। किसी एक हिस्सेदार को ज्यादा जमीन दे दी गई तथा दूसरे को कम दी गई तथा सड़क पर पहुंचने का रास्ता अवरूध किया गया जिसके कारण मौके पर अभी भी विवाद बना हुआ है। अतः उक्त विभाजन मान्य नही होने के कारण तहसीलदार बाड़मेर को पक्षकारो के कब्जा काश्त एवं मौके की स्थिति को ध्यान मे रखते हुए पुनः विभाजन आदेश पारित करने हेतु रिमाण्ड की जावें।

7. रेस्पोडेटस संख्या 1 से 3 एवं 5 से 11 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलाधीन विभाजन आवेदन मय नक्शा आपसी सहमति से तैयार किये गये। विभाजन का प्रारूप स्वयं खातेदारान द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53(2)(1) के अन्तर्गत तैयार कर प्रस्तुत किया एवं अपीलाधीन आदेश समस्त खातेदारान की उपस्थिति मे पारित किया गया। अपीलांट का प्रारम्भ से ही अपीलाधीन आदेश का ज्ञान होने से अपील म्याद बाहर है तथा म्याद के बिन्दू पर अपील चलने योग्य नहीं है। अतः अपील आधारहीन एवं म्याद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है।

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

8. हमने अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली, उस पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांटस ने यह अपील तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित बंटवाड़ा आदेश दिनांक 14.5.2012 के विरूद्व पेश की है। अपीलांटस व रेस्पोडेंटस संख्या 1 से 10 की संयुक्त खातेदारी भूमि खेत खसरा नंबर 219, 238, 239, 570 संयुक्त रकबा 229 बीघा 11 विस्वा सरहद मौजा नथोणियो का वास व खसरा नंबर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

336, 529, 531, 661 कुल रकबा 131.08 बीघा मौजा मगने की ढाणी पटवार क्षैत्र कुड़ला तहसील बाडमेर आई हुई है। अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष आवेदन पत्र मय एग्रीमेंट पेश किया। उक्त सहमति से विभाजन के बंटवाड़ा में कब्जे को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद बना हुआ है और मौके पर बंटवाड़ा अनुसार कब्जा न होकर भिन्न प्रकार से कब्जा है, अर्थात् विभाजन आदेश पक्षकारान के मौजूदा कब्जा काश्त बाई मिटस एवं बाउण्डस के अनुसार नहीं है तथा राजस्थान काश्तकारी नियम 20 व 21 की पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर ने विभाजन विलेख स्वीकृत करने से पूर्व रेकर्ड, मौके की स्थिति की सही जांच नहीं की, जिसके अभाव में अपीलाधीन आदेश को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांटस नें अपील के साथ देरी से प्रस्तुत करने बाबत् धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश किया है, जो अपील के तथ्यों को देखते हुए स्वीकार किया जाकर अपील अंदर म्याद सुमार की जाती है।

9. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांटस की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.05.2012 को अपास्त किया जाता है और तहसीलदार बाड़मेर को निर्देश दिये जाते हैं कि पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त व बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के सिद्वान्त अनुसार खातेदारान की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी नियम 20 व 21 की पालना करते हुए पुनः विधिवत विभाजन आदेश पारित करें।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 02.02.2017 को सुनाया गया।

अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)